रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 1998/ज्येष्ठ 27, 1920
No. 130] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 1998/JYAISTHA 27, 1920

उद्योग मंत्रालय

(सरकारी उद्यम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 16 जून, 1998

सं. स. उ. वि. 2 (15)/95 मजूरी कक्ष.—केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 10-12-1996 के अपने समसंख्यक संकल्प के द्वारा न्यायमूर्ति श्री एस. मोहन की अध्यक्षता में एक वेतन संशोधन समिति का गठन किया था, जिसे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न स्तरों के कार्यपालकों के वेतन, भत्ते, अनुलब्धियों एवं अन्य लाभों की जांच करने तथा छः माह के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करनी थी। बाद में सरकार ने दिनांक 25-6-1997 के अपने समसंख्यक संकल्प के द्वारा यह निर्णय लिया कि समिति अपनी सिफारिशें 31-3-1998 तक प्रस्तुत कर सकती है। बाद में पुनः दिनांक 31-3-1998 के संकल्प द्वारा समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने की तारीख 30-6-1998 तक बढ़ा दी गई थी।

2. समिति कि संरचना में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने वेतन संशोधन समिति में निम्नलिखित को सदस्य के रूप में रखने का निर्णय लिया है :—

अध्यक्ष	:	न्यायमूर्ति श्री एस. मोहन (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय)
सदस्य	:	श्री एस. वेंकिटारमणन, भूतपूर्व गर्वनर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया डॉ. दीपक नैय्यर, भूतपूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार श्री दीपक पारीख, अध्यक्ष, आवास विकास एवं वित्त निगम श्री पी. जी. मांकड़, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सदस्य सचिव	:	श्री सी. आर. कमलनाथन, सचिव, सरकारी उद्यम विभाग

3. अन्य निबन्धन एवं शर्तें वही रहेंगी जैसा कि दिनांक 10-12-1996 के संकल्प में अधिसूचित किया गया था।

एस. तलवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th June, 1998

No. DPE/2 (15)/95-WC.— The Central Government vide its Resolution of even number dated 10-12-1996 had appointed a Pay Revision Committee under the Chairmanship of Shri Justice S. Mohan to examine the present structure of pay, allowances, perquisites and benefits for the Central Government Public Sector executives at different levels and to make its recommendations within a period of six months. The Government subsequently decided vide its Resolution of even number dated 25-6-1997 that the Committee may submit its recommendations by 31-3-1998. The date of submission of the Committee's recommendations was further extended upto 30-6-1998 vide Resolution dated 31-3-1998.

2. In partial modification of the composition of the Committee, the Government have decided the Pay Revision Committee would have the following as members :—

Chairman	:	Shri Justice S. Mohan (Retd. Judge, Supreme Court)
Members	:	Shri S. Venkitaramanan Ex-Governor, RBI
		Dr. Deepak Nayyar Ex-Chief Economic Adviser, G.O.I.
		Shri Deepak Parekh Chairman Housing Development & Finance Corporation
		Shri P. G. Mankad Secretary Ministry of Information & Broadcasting
Member-Secretary	:	Shri C. R. Kamalanathan Secretary Department of Public Enterprises

3. The other terms & conditions would remain the same as notified vide Resolution dated 10-12-1996.

S. TALWAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998